संख्याः 508 /44-2/2012

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ/ दिनांकः 4 सितम्बर ~~अगस्त~~ 2012

विषयः पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामों ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्याः 2608/2011 में दिनॉक 27.04.2012 को पारित निर्णय एवं पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामीं ज्येष्ठता समाप्त किये जाने के संबंध।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-04/1/2002टी0सी0-1-का-2/2012, दिनॉक 08.05.2012 (संलग्नकों सहित) एवं संख्याः 4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2012, दिनांक 13.5.2012 की प्रतियां संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(संजय प्रसाद)
सचिव।

संख्या–4/1/2002टी.सी.–1–का–2/2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनॉक : 08 मई, 2012**

विषय : **पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–2608/2011 में दिनॉक 27.04.2012 को पारित निर्णय के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनॉक 28.04.2012 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनॉक 27.04.2012 के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग द्वारा समस्त बिन्दुओं का परीक्षण करते हुये अलग से दिशा–निर्देश प्रेषित किये जायेंगे। यह भी उल्लेख किया गया है कि जब तक विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित न कर दिया जाये तब तक किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की पदोन्नति/पदावनति की कार्यवाही न की जाय तथा कार्मिक विभाग के निर्देश/परामर्श की प्रतीक्षा की जाय।

3. प्रश्नगत विषय के सन्दर्भ में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत सुनवाई के पश्चात दिनॉक 27.04.2012 को अंतिम निर्णय/आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है :

> "In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 Act and rule-8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter to the dictum in M. Nagaraj (Supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indira Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of section-3(7) and rule 8A shall remain undisturbed."

4. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के समादर में निम्नलिखित अध्यादेश, नियमावलियॉ एवं शासनादेश प्रख्यापित/निर्गत किये गये हैं :–

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) (पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी) को हटाये जाने विषयक अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 दिनांक 07 मई, 2012।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012, दिनांक 08 मई, 2012।

(ग) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के पदों हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति प्रकिया (आठवॉ संशोधन) नियमावली, 2012, दिनांक 08 मई, 2012।

(घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012, दिनांक 08 मई, 2012 ।

(ड.) पदोन्नति में आरक्षण तथा तत्सम्बन्धी रोस्टर को निरस्त करने विषयक शासनादेश संख्या–4/1/2002/का–2/2012, दिनॉक 08 मई, 2012 ।

5. **(क)** उपर्युक्तानुसार प्रस्तर–4(क) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के प्रख्यापन का आशय यह है कि आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–3(7), जिसमें पदोन्नति के सम्बन्ध में आरक्षण की प्रदेयता विषयक निर्गत शासनादेशों के तब तक लागू रहने जब तक कि उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय, की व्यवस्था थी, को सन्दर्भगत अधिनियम से निकाल दिया गया है। उक्त के परिणामस्वरूप अब पदोन्नति के प्रकम पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देय नहीं है।

(ख) इसी प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्तर–4(ख) में सन्दर्भित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के परिणाम स्वरूप ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में दिनॉक 14.09.2007 को तृतीय संशोधन के माध्यम से जोड़े गये नियम 8–क को प्रश्नगत नियमावली से निकाल दिया गया है। उक्त का आशय यह है कि सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता के अवधारण की कार्यवाही अब उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। इसका तात्पर्य यह है कि ज्येष्ठता अवधारण में परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।

(ग) यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त प्रस्तर–4(ग) में संदर्भित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति प्रकिया (आठवॉ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के परिणामस्वरूप अब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं सामान्य वर्ग की पृथक–पृथक तैयार की जाने वाली पात्रता सूचियों के स्थान पर सभी वर्गों के कार्मिकों को सम्मिलित करते हुये एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुये पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी। ध्यातव्य है कि पदोन्नति में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण की देयता समाप्त हो जाने के कारण पृथक पात्रता सूचियों के निर्माण की व्यवस्था अप्रासंगिक हो गयी है अतः पृथक–पृथक पात्रता सूचियों के निर्माण की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

(घ) इसी प्रकार उपर्युक्त प्रस्तर–4(घ) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन का तात्पर्य यह है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति के अवसर पर प्रयुक्त होने वाली अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं सामान्य वर्ग की पृथक–पृथक तीन पात्रता सूचियों के स्थान पर सभी वर्गों के कार्मिकों को सम्मिलित करते हुये एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुये पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

(ड.) उपर्युक्त प्रस्तर–4 (ड.) में उल्लिखित पदोन्नति में आरक्षण तथा तत्सम्बन्धी रोस्टर को निरस्त करने विषयक शासनादेश संख्या– 4/1/2002/ का–2/2012 दिनॉक 08 मई, 2012 के निर्गमन का आशय यह है कि पदोन्नति के प्रकम पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने विषयक समस्त शासनादेश एवं

पदोन्नति की प्रक्रिया विषयक निर्गत किये गये रोस्टर निरस्त कर दिये गये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त शासनादेश के निर्गमन के परिणामस्वरूप पदोन्नति के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से आरक्षण की देयता नहीं रह गयी है।

6. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सारांशतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :–

(क) पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अब आरक्षण देय नहीं है।

(ख) जिन संवर्गों /पदों की ज्येष्ठता सूचियॉ, ज्येष्ठता नियमावली के नियम–8–क के आधार पर परिणामिक ज्येष्ठता देते हुये निर्गत की गयी हों, उनमें से परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुये ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार उन्हें संशोधित/परिवर्धित कर लिया जाये।

(ग) पदोन्नति के अवसर पर पृथक–पृथक तीन पात्रता सूचियों के स्थान पर यथाज्येष्ठता एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुये पदोन्नति की कार्यवाही की जाये।

(घ) पदोन्नति के प्रक्रम पर आरक्षण का लाभ प्रदान करने विषयक समस्त शासनादेश एवं रोस्टर भी निरस्त हो गये हैं।

7. कृपया उपरोक्त प्रक्रिया का विधिनुसार पालन करते हुये, इस शासनादेश में सन्दर्भित अध्यादेश, नियमावलियों एवं शासनादेश की व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारम्भ करने का कष्ट करें। कृपया संलग्न अध्यादेश, नियमावलियों एवं शासनादेश की व्यवस्थाओं से अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को भी अवगत करा दें।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–4/1/2002(1)टी.सी.–1–का–2/2012 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अध्यादेश, शासनादेश एवं नियमावलियों की व्यवस्था से अपने समस्त अधीनस्थों को भी अवगत करा दें :–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(एच.एल.गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या–4/1/2002टी.सी–।।–का–2/2012

प्रेषक,

एच.एल.गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक : 08 मई, 2012

विषय :– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 की धारा–3(7)को निकाले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की और उससे संबंधित या अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए दिनांक 23.03.1994 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 प्रख्यापति किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा–3(7) को निकाले जाने हेतु "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 लागू किया गया है।

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न अध्यादेश, 2012 के प्राविधान का सभी स्तरों पर, सभी लोक सेवाओं व पदों के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत किया जाय। यह भी अनुरोध है कि इस अध्यादेश के प्राविधान से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी अनुपलानार्थ कृपया अवगत करा दें।
संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एच.एल.गुप्ता)
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–4/1/2002(1)टी.सी.।।–का–2/2012–तद्दिनांक

प्रतिलिपि सन्दर्भगत अध्यादेश 2012 की प्रति सहित निम्नलिखित अधिकारियों/ प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अध्यादेश के प्राविधान से कृपया अपने समस्त अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें:–

(1) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सभी सम्बन्धित बोर्डो, निगमों, निकायों आदि में उपरोक्त अध्यादेश को लागू कराने के अनुरोध सहित।
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार से अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) जिनमें किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है, की सेवाओं और पदों मे उपरोक्त अध्यादेश के प्राविधान को लागू करने के अनुरोध सहित।
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को समस्त संबंधित सहकारी समितियों आदि में उक्त अध्यादेश के प्राविधान को लागू कराये जाने के अनुरोध सहित।
(5) प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग/आवास विभाग/पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त अध्यादेश के प्राविधान लागू कराने के अनुरोध सहित।
(6) राज्य के समस्त उपकमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
(7) प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर)के निबन्धक।
(8) निबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां, लखनऊ।
(9) समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश।
(10) समस्त महाप्रबन्धक,जल संस्थान,उत्तर प्रदेश।
(11) निदेशक,स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
(12) निदेशक,उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा लखनऊ।
(13) समस्त अध्यक्ष,जिला परिषद/नगर महापालिका/नगर पालिका/टाउन एरिया, उत्तर प्रदेश।
(14) निबन्धक, हाई कोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेन्च, लखनऊ।
(15) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश।
(16) प्रमुख सचिव/सचिव,विधान सभा/विधान परिषद,उत्तर प्रदेश।
(17) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(18) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(19) समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्री जी के सूचनार्थ ।
(20) वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(21) निदेशक, सूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(22) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एच.एल. गुप्ता)
विशेष सचिव।

क्रम-संख्या-80

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डॅब्लू०/एन०पी०-91/2011-13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 7 मई, 2012

बैशाख 17, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 310/79-वि-1-12-2(क)-2-2012

लखनऊ, 7 मई, 2012

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2012) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2012)

[भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

1—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

(7)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3 में उपधारा (7) निकाल दी जायेगी।

बी0 एल0 जोशी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जकी उल्लाह खाँ,
प्रमुख सचिव।

No. 310(2)/LXXIX-V-1–12-2(Ka)-2-2012
Dated Lucknow, May 7, 2012

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhare Vargon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2012 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 2 of 2012) promulgated by the Governor.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2012

(U.P. ORDINANCE No. 2 OF 2012)

[*Promulgated by the Governor in the Sixty-third Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:–

Short title

1. This Ordiance may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Ordinance, 2012.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 4 of 1994

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, sub-section (7) shall be *omitted*.

B. L. JOSHI,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ZAKI ULLAH KHAN,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 63 राजपत्र (हि०)–2012–(173)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा0 विधायी–2012–(174)–850 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

63 RPH_Data 2

(8)

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–1
संख्या–13/2/91–टी0सी0–का–1–2012
लखनऊ :: दिनांक 08 मई, 2012

दिनांक 08 मई, 2012 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्रीजी।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. नियुक्ति अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ प्रेषित।
11. अपर महाधिवक्ता, उ0प्र0, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
अनुसचिव।

क्रम–संख्या—83

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 8 मई, 2012
बैशाख 18, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–1

संख्या–13/2/91-टी0सी0–का-1-2012
लखनऊ, 08 मई, 2012

अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा0प0नि0–15

संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2) यह 17 जून, 1995 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

नियम–8–क का निकाला जाना

2–उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में नियम–8–क निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Gov
pleased to order the publication of the following English translation of notification no.-13/2/91-T.C
2012, dated May 8, 2012:

No.13/2/91-T.C.-ka-1-2012

Dated Lucknow, May 8 ,2012

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991 :

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS SENIORITY (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2012

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Seniority (Fourth Amendment) Rules, 2012.

2 (2) They shall be deemed to have come into force on June, 17, 1995.

Omission of rule 8-A

2. In the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, rule 8-A shall be *omitted.*

By order,
RAJIV KUMAR,
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–1
संख्या–15/66/81-का-1-2012
लखनऊ :: दिनांक 08 मई,2012

दिनांक 08 मई, 2012 को प्रख्यापित " उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) (आठवॉ संशोधन) नियमावली, 2012" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्रीजी।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. नियुक्ति अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ प्रेषित।
11. अपर महाधिवक्ता, उ0प्र0, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
अनु सचिव।

क्रम–संख्या–82

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 8 मई, 2012

बैशाख 18, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या–15/66/81–का-1-2012

लखनऊ, 08 मई, 2012

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–16

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) नियमावली, 1970 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) (आठवॉं संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) (आठवां संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2)यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–8 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) नियमावली, 1970 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तंभ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–8 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :

स्तम्भ–1		स्तम्भ–2	
विद्यमान नियम		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
पात्रता सूची तैयार करना	8–नियुक्ति प्राधिकारी, प्रत्येक श्रेणी अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग–अलग तीन सूचियॉं, उक्त श्रेणी के लिए	पात्रता सूची तैयार करना	8–नियुक्ति प्राधिकारी, ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, जिनमें यथासम्भव रिक्तियों की संख्या का तीन गुना किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे:

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिनमें यथासम्भव रिक्तियों की संख्या का तीन गुना किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे:	
प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हों, की जानी हों, तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बंध में पृथक–पृथक पात्रता सूचियाँ तैयार की जायेंगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूचियाँ तैयार करते समय पात्रता सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी :–	प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जानी हों, तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बंध में पृथक–पृथक पात्रता सूचियाँ तैयार की जायेंगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूचियाँ तैयार करते समय पात्रता सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से होगी:–
(1) द्वितीय वर्ष के लिए (क) उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग ;	(1) द्वितीय वर्ष के लिए (क) उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग ;
(2)तृतीय वर्ष के लिए (ख) उक्त अंनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे भी :	(2)तृतीय वर्ष के लिए (ख) उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे भी :
अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों को, प्रथम दृष्टया, पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के लिए निमित्त नहीं की जायेगी, और उनके नाम के सामने उनके सम्बंध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायेगी :	अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों को, प्रथम दृष्टया, पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के निमित्त नहीं की जायेगी, और उनके नाम के सामने उनके सम्बंध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी अंकित कर दी जायेगी :
प्रतिबन्ध यह और भी है कि यदि भर्ती के किसी वर्ष में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है किन्तु, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी	

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ज्येष्ठता के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने का हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।	

नियम 21 का प्रतिस्थापन

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तंभ–1 में दिये गए विद्यमान नियम 21 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
पात्रता सूची तैयार करना	21–(1) नियम 22 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक श्रेणी से अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग–अलग तीन सूचियॉं, उक्त श्रेणी के प्रत्येक के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिनमें यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे :–	पात्रता सूची तैयार करना	21–(1) नियम 22 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, नियुक्ति प्राधिकारी उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, जिनमें यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे :–
1 से 5 रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5 :	1 से 5 रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5:
5 से अधिक रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10: परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध न हो किन्तु, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी ज्येष्ठता के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने का हकदार हो, तो ऐसा व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।	5 से अधिक रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10:

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करने के लिए नियम 8 के परन्तुक में दिये गये उपलब्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।	(2) इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करने के लिए नियम 8 के परन्तुक में दिये गये उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
(3) भाग–3 में विहित शेष प्रकिया यथावश्यक परिवर्तन सहित इस भाग के अधीन की गयी पदोन्नति पर लागू होंगी, सिवाय इसके कि भाग–3 में निर्दिष्ट चयन सूची, चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता कम में तैयार की जायेगी।	(3) भाग–3 में विहित शेष प्रकिया यथावश्यक परिवर्तन सहित इस भाग के अधीन की गयी पदोन्नति पर लागू होगी, सिवाय इसके कि भाग–3 में निर्दिष्ट चयन सूची, चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, 'ज्येष्ठता कम में तैयार की जायेगी।

आज्ञा से,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 15/LXVI/81-Ka-1-2012, dated May 8, 2012:

No. 15/LXVI/81-Ka-1-2012

Dated Lucknow, May 8, 2012

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Promotion By Selection In Consultation With Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970:

THE UTTAR PRADESH PROMOTION BY SELECTION IN CONSULTATION WITH PUBLIC SERVICE COMMISSION (PROCEDURE) (EIGHTH AMENDMENT) RULES, 2012

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Promotion By Selection In Consultation With Public Service Commission (Procedure) (Eighth Amendment) Rules, 2012.

2. (2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 8

2. In the Uttar Pradesh Promotion By Selection In Consultation With Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule 8 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Prepa-ration of eligibi-lity list 8. The appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists, of the senior most eligible candidates from each of the category	**Prepa-ration of eligibi-lity list** 8. The appointing authority shall prepare a list of the senior most eligible candidates containing names, as far as possible, three times the number of vacancies

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
namely, General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said categories containing names as far as possible, three times the number of vacancies subject to the minimum of eight :	subject to the minimum of eight :
Provided that, if recruitment is to be made for vacancies occuring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility lists for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility lists shall be as follows -	Provided that, if recruitment is to be made for vacancies occuring during more than one year of recruitment, separate eligibility list will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility list for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be as follows :-
For the second year (a) The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year,	For the second year (a) The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year;
For the third year (b) The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year and so on:	For the third year (b) The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year, and so on:
Provided further that the candidates who are not considered suitable, prima facie, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names :	Provided further that the candidates who are not considered suitable, prima facie, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names .
Provided also that if, in a year of recruitment, no vacancy is available for Scheduled Castes or Scheduled Tribes but a person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, is entitled to be included, by virtue of his seniority, in the eligibility list of the general category candidates, such person shall also be included in the eligibility list of General category candidates	

Substitution of rule 21

3. In the said rules, for existing rule 21 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

	COLUMN-1 *Existing rule*		COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Preparation of eligibility list	21.(1) Except as otherwise provided in rule 22, the appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists of the senior most eligible candidates from each of the categories namely General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of the vacancies available for each of the said sections containing names, so far as may be, in the following proportion :-	Preparation of eligibility list	21.(1) Except as otherwise provided in rule 22, the appointing authority shall prepare a list of the senior most eligible candidates containing names, so far as may be, in the following proportion :-
For 1 to 5 vacancies	2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5-	For 1 to 5 vacancies	2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5;
For over 5 vacancies	1.5 times the number of vacancies subject to a minimum of 10:	For over 5 vacancies	1.5 times the number of vacancies subject to a minimum of 10.
	Provided that if, in a year of recruitment, no vacancy is available for Scheduled Castes or Scheduled Tribes but a person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, is entitled to be included, by virture of his seniority, in the eligibility list of the general category candidates, such person shall also be included in the eligibility list of General category candidates.		
	(2) The Provisions containing in proviso to rule 8 shall mutatis...mutandis apply in preparing an eligibility list under this rule.		(2) The provisions contained in proviso to rule 8 shall, mutatis mutandis, apply in preparing an eligibility list under this rule.
	(3) The rest of procedure prescribed in Part III shall mutatis mutandis apply to promotion made under this part except that the select list referred to in Part III shall be prepared by the Selection Committee in order of seniority subject to the rejection of the unfit.		(3) The rest of procedure prescribed in Part III shall, mutatis mutandis, apply to promotion made under this part except that the select list referred to in Part III shall be prepared by the Selection Committee in order of seniority subject to the rejection of the unfit.

By order,
RAJIV KUMAR,
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–1
संख्या–15/50/86-का-1-2012
लखनऊ :: दिनांक 08 मई,2012

दिनांक 08 मई, 2012 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्रीजी।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. नियुक्ति अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ प्रेषित।
11. अपर महाधिवक्ता, उ0प्र0, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
अनुसचिव।

क्रम–संख्या–82

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट एंट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 8 मई, 2012

बैशाख 18, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या–15/50/86-कार्मिक-1/2012
लखनऊ, 08 मई, 2012

अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा०प०नि०–14

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ;

उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–4 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तंभ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–4 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
पात्रता सूची तैयार करना जहाँ मानदण्ड योग्यता हो	4–जहाँ पदोन्नति के लिए मानदण्ड योग्यता हो, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक श्रेणी अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों	पात्रता सूची तैयार करना जहाँ मानदण्ड योग्यता हो	4–जहाँ पदोन्नति के लिए मानदण्ड योग्यता हो, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, जिसमें यथासम्भव रिक्तियों की

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	की अलग–अलग तीन सूचियॉं, उक्त श्रेणी के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिनमें नाम, यथासम्भव रिक्तियों की संख्या के तीन गुना किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे:	संख्या के तीन गुना, किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे:
	परन्तु यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जानी हों, तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बंध में पृथक–पृथक पात्रता सूचियॉं तैयार की जायेंगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूचियॉं तैयार करते समय पात्रता सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी :–	परन्तु यह कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हों, की जानी हों, तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बंध में पृथक–पृथक पात्रता सूची तैयार की जायेगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूची तैयार करते समय, पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से होगी :–
(1) द्वितीय वर्ष के लिए	उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग ;	उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग ;
(2) तृतीय वर्ष के लिए	उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे भी :	उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे भी :
	परन्तु यह और कि जिन अभ्यर्थियों का प्रथम दृष्टया पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के लिए नहीं की जायेगी और उनके नाम के सामने उनके सम्बंध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायेगी :	परन्तु यह और कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्टया पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के लिए नहीं की जायेगी और उनके नाम के सामने उनके सम्बंध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी अंकित कर दी जायेगी।
	परन्तु यह और भी कि यदि भर्ती के किसी वर्ष में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध न हो किन्तु, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी ज्येष्ठता के आधार	

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने का हकदार हो, तो ऐसा व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।	

नियम 5 का प्रतिस्थापन

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तंभ–1 में दिये गए विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
पात्रता सूची तैयार करना जहां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता मानदण्ड हो	5–(1) जहाँ पदोन्नति का मानदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक श्रेणी अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग–अलग तीन सूचियाँ, उक्त श्रेणी के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिनमें यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे :–	पात्रता सूची तैयार करना जहां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता मानदण्ड हो	5–(1) जहाँ पदोन्नति का मानदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता हो, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, जिनमें यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम रखे जायेंगे :–
	1 से 5 रिक्तियों के लिए–रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5 :	1 से 5 रिक्तियों के लिए–रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5:
	5 से अधिक रिक्तियों के लिए–रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10:	5 से अधिक रिक्तियों के लिए–रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10 :
	परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध न हो किन्तु, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी ज्येष्ठता के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने का हकदार हो, तो ऐसा व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।	

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) नियम–4 के परन्तुक में दिये गये उपबन्ध इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।	(2) नियम–4 के परन्तुक में दिये गये उपबन्ध इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करने के लिए यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

आज्ञा से,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 15/50-86-ka-1-2012, dated May 8, 2012:

No. 15/50-86-ka-1-2012

Dated Lucknow, May 8, 2012

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Promotion by Selection (On posts outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986:

THE UTTAR PRADESH PROMOTION BY SELECTION (ON POSTS OUTSIDE THE PURVIEW OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION) ELIGIBILITY LIST (THIRD AMENDMENT) RULES, 2012

Short title and commence-ment

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Promotion by Selection (On posts outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility List (Third Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 4

2. In the Uttar Pradesh Promotion by Selection (On posts outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule 4 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Preparation of eligibility list where the criterion is merit 4. Where the Criterion for promotion is merit, the appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists of the senior most eligible candidates from each of the category namely, General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said categories containing names as far as possible, three times the number of vacancies subject to the minimum of eight :	Preparation of eligibility list where the criterion is merit 4. Where the criterion for promotion is merit, the appointing authority shall prepare a list of the senior most eligible candidates containing names, as far as possible, three times the number of vacancies subject to the minimum of eight :

	COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
	Provided that, if recruitment is to be made for vacancies occuring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility lists for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility lists shall be as follows :-	Provided that, if recruitment is to be made for vacancies occuring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility lists for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility lists shall be as follows :-
1. For the Second year	The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year;	The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year;
2. For the Third year	The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year, and so on:	The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year; and so on:
	Provided further that the candidates who are not considered suitable, Prima facie, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names :	Provided further that the candidates who are not considered suitable, prima facie, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names.
	Provided also that if, in a year of recruitment, no vacancy is available for Scheduled Castes or Scheduled Tribes but a person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, is entitled to be included, by virtue of his seniority, in the eligibility list of the general category candidates, such person shall also be included in the eligibility list of General category candidates.	

Substitution of rule 5

3. In the said rules, for existing rule 5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :-

	COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Preparation of eligibility list where	5. (1) Where the criterion for promotion is seniority subject to the rejection of unfit the	5. (1) Where the criterion for promotion is seniority subject to the rejection of unfit, the

	COLUMN-1 *Existing rule*		COLUMN-2 *Rule as hereby substitute*
the criterion is seniority subject to the rejection of unfit	appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists of the senior most eligible candidates from each of the category, namely, General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said category containing names, so far as may be, in the following proportion :- For 1 to 5 vacancies- 2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5; For over 5 vacancies- 1-1/2 times the number of vacancies subject to a minimum of 10: Provided that if in a year of recruitment no vacancy is available for Scheduled Castes or Scheduled Tribes but a person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, is entitled to be included, by virture of his seniority, in the eligibility list of the General category Candidates, such person shall also be included in the eligibility list of general category candidates. (2) The provisions containing in proviso to rule 4 shall mutatis mutandis, apply if preparing an eligibility list under this rule.	the criterion is seniority subject to the rejection of unfit	appointing authority shall prep a list of the senior most eligible candidates containing names, so far as may be, in the following proportion:- For 1 to 5 vacancies- 2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5; For over 5 vacancies- 1-1/2 times the number of vacancies subject to a minimum of 10. (2) The provisions contained in proviso to rule 4 shall, mutatis mutandis, apply in preparing an eligibility list under this rule.

By order,

RAJIV KUMAR,

Pramukh Sachiv.

संख्या–4/1/2002/का–2/2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक : 08 मई, 2012

विषय :– पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाना।

महोदय,

आप अवगत होंगे कि शासनादेश संख्या–65/2/69–रा.एकी., दिनांक 08.03.1973 द्वारा "श्रेष्ठता" के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के समस्त मामलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कमशः 18% और 02% का आरक्षण प्रदान किया गया था।

2– शासनादेश संख्या–15/5/1973–रा.एकी., दिनांक 20.03.1974 के माध्यम से यह आदेश प्रसारित किये गये कि "अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में भी उक्त जातियों के लिए कमशः 18% तथा 02% का आरक्षण रहेगा। यह आरक्षण केवल ऐसी सेवाओं/ पदों में होगा, जिसमें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था 50% से अधिक न हो।

3– शासनादेश संख्या–15/5/1973–रा.एकी., दिनांक 27.12.1974 के माध्यम से सम्यक् विचारोपरान्त पदोन्नति में आरक्षण की अनुमन्यता हेतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 50% से अधिक न होने की शर्त हटा दी गयी।

4– "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994" की धारा–3(7) के माध्यम से यह व्यवस्था की गयी कि *"यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के*

लिए सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे, जब तक उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाए"।

5– शासनादेश संख्या–13/34/90(1)/कार्मिक–1/1994, दिनांक 10.10.1994 द्वारा पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लिए अनुमन्य 18% के आरक्षण को बढ़ाकर 21% कर दिया गया।

6– शासनादेश संख्या–4/1/2001/का–2–2002, दिनांक 25.06.2002 के माध्यम से पदोन्नति में आरक्षण नीति को लागू करने के लिए रोस्टर की व्यवस्था की गयी। शासनादेश में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों के लिए 21% तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 02% आरक्षण अनुमन्य होने का भी उल्लेख है।

7– पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पश्चात् पारिणामिक ज्येष्ठता भी प्रदान करने के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2007" दिनांक 14.09.2007 जारी की गयी। पारिणामिक ज्येष्ठता एवं पदोन्नति में आरक्षण तथा पृथक–पृथक पात्रता सूचियों के निर्माण की व्यवस्था को चुनौती देते हुए मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में रिट याचिका संख्या–1389(एस.बी.)/2007 प्रेम कुमार सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दायर की गयी। रिट याचिका के सन्दर्भ में अन्तिम सुनवाई करते हुए मा. न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2011 को पारित आदेश द्वारा अन्य के साथ–साथ पदोन्नतियों मे आरक्षण की व्यवस्था को असंवैधानिक पाते हुए इसे निरस्त कर दिया गया।

मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त निर्णय/ आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा. सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–4030/2011 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम प्रेम कुमार सिंह व अन्य योजित की गयी। सम्पूर्ण प्रकरण पर विस्तृत सुनवाई के पश्चात् मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 27.04.2012 को अन्तिम आदेश पारित किया गया है। इसके मुख्य अंश निम्न हैं :–

"In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 Act and rule-8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter to the dictum in M. Nagaraj (Supra). Any promotion that has been

given on the dictum of Indira Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of section-3(7) and rule 8A shall remain undisturbed."

8– उपर्युक्त अंकित समस्त तथ्यों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति में आरक्षण के सन्दर्भ में निर्गत समस्त शासनादेशों/रोस्टर को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया लिये गये निर्णय का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित् करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी तद्नुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**राजीव कुमार**)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–4/1/2002(1)/का–2/2012–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे शासनादेश की व्यवस्था से अपने समस्त अधीनस्थों को भी अवगत करा दें :–

1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
3) सचिव, लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
4) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5) समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को मा. मंत्री जी के सूचनार्थ।
6) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(**राजीव कुमार**)
प्रमुख सचिव।

4411 | 14-2-2012

संख्या–4/1/2002टी.सी.–1–का–2/2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ, दिनॉक : 13 मई, 2012

विषय : पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता समाप्त किये जाने विषयक कार्मिक अनुभाग–2 के समसंख्यक शासनादेश दिनांक 08 मई, 2012 के प्रस्तर–5(ख) एवं 6(ख) को प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया पदोन्नति में आरक्षण एवं पारिणामिक ज्येष्ठता समाप्त किये जाने विषयक कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–4/1/2002टी.सी.1–का–2/2012 दिनांक 08 मई, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. सम्यक् विचारोपरान्त वर्णित शासनादेश के प्रस्तर–5(ख) एवं 6(ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

वर्तमान प्रस्तर	प्रतिस्थापित प्रस्तर
5(ख) इसी प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्तर–4(ख) में सन्दर्भित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के परिणाम स्वरूप ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में दिनॉक 14.09.2007 को तृतीय संशोधन के माध्यम से जोड़े गये नियम 8–क को प्रश्नगत नियमावली से निकाल दिया गया है। उक्त का आशय यह है कि सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता के अवधारण की कार्यवाही अब उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। इसका तात्पर्य यह है कि ज्येष्ठता अवधारण में परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।	प्रस्तर 5(ख)– इसी प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्तर–4(ख) में सन्दर्भित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में दिनॉक 14.09.2007 को तृतीय संशोधन के माध्यम से जोड़े गये नियम 8–क को प्रश्नगत नियमावली से निकाल दिया गया है।

6(ख) जिन संवर्गों /पदों की ज्येष्ठता सूचियॉ, ज्येष्ठता नियमावली के नियम–8–क के आधार पर परिणामिक ज्येष्ठता देते हुये निर्गत की गयी हों, उनमें से परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुये ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार उन्हें संशोधित/परिवर्धित कर लिया जाये।	प्रस्तर 6(ख)– जिन संवर्गों/पदों की ज्येष्ठता सूचियां पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 के नियम 8(क) के आधार पर पारिणामिक ज्येष्ठता देते हुए निर्गत की गयी थीं, नियम 8(क) के निरस्त होने के कारण उक्त ज्येष्ठता सूचियां स्वतः निष्प्रभावी हो गयीं हैं। उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, प्रशासनिक विभागों द्वारा पदोन्नति करने के उद्देश्य से ज्येष्ठता सूचियों के बारे में निम्नवत् कार्यवाही की जाये:– (अ) यदि प्रशासकीय विभाग संतुष्ट हैं कि पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ देते हुए निर्गत ज्येष्ठता सूची से पूर्व की निर्गत ज्येष्ठता सूची, जिसमें पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ नहीं दिया गया था, को विधिवत रूप से परिचालित कर आपत्तियां आमंत्रित कर और उनके निस्तारण के उपरान्त तैयार किया गया था, और जो किसी न्यायालय के आदेश से बाधित नहीं है, तो प्रशासनिक विभाग द्वारा उस ज्येष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकती है। (ब) अन्यथा की स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा पारिणामिक ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुए ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली–1991 के प्राविधानानुसार ज्येष्ठता सूचियों को संशोधित कर अन्तिम रूप दे दिया जाय व तदोपरान्त इन ज्येष्ठता सूचियों के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

3. उपरोक्तानुसार वर्णित शासनादेश दिनांक 08 मई, 2012 के प्रस्तर–5(ख) एवं 6(ख) को प्रतिस्थापित किये जाने के फलस्वरूप उक्त शासनादेश दिनांक 08 मई, 2012 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित कर दिया गया है। अतः कृपया प्रस्तर–2 में उल्लिखित निर्णय के अनुसार पदोन्नति के परिपेक्ष्य में तत्काल यथावश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृपया लिये गये उपरोक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत करा दें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–4/1/2002(1)टी.सी.–1–का–2/2012 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4– वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(एच.एल.गुप्ता)
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 8 सा0 नियुक्ति–16–5–2012–(214)–2000+2 प्रतियां (ऑफसेट)।